राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1721/2015

गणेश लाल पाटीदार **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.07.2015

आदेश की दिनांक : 08.12.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि रिव्यू डीपीसी आयोजित कर प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु रिक्ति वर्ष 2015–16 के विरूद्ध अपीलार्थी के नाम पर विचार किया जावे एवं अपीलार्थी को उक्त पद पर पदोन्नति सहित समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 14.12.2010 के द्वारा व्याख्याता के पद पर हुई थी और उसे आदेश दिनांक 18.05.2013 के द्वारा स्थायी घोषित किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13.09.2013 द्वारा अपीलार्थी का चयन हैडमास्टर के पद के लिए किया गया और इसकी अनुपालना में दिनांक 16.09.2013 को कार्यभार ग्रहण कर लिया। राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, 1970 के अन्तर्गत अपीलार्थी की अगली पदोन्नति प्रधानाचार्य के पद पर होनी थी। दिनांक 25.03.2015 के संशोधन द्वारा

1970 के नियमों में संशोधन करते हुए प्रधानाचार्य के पद के लिए हैडमास्टर की योग्यताओं के अतिरिक्त मास्टर डिग्री की योग्यता व कॉलम संख्या 5 में 3 वर्ष की अनुभव की शर्त भी जारी की गई। नियमानुसार अपीलार्थी ने 3 वर्ष से अधिक का अनुभव उक्त पद पर, जो कि कॉलम एफ में उल्लेख है पर अर्जित कर लिया था और वर्ष 2015–16 के प्रधानाचार्य के पद की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति की योग्यता रखता था। अपीलार्थी 1970 के नियमों के अन्तर्गत व्याख्याता के पद पर स्थाई भी हो चुका है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा सैकण्डरी विद्यालय को अपग्रेड कर हॉयर सैकण्डरी विद्यालय किया गया था, जिससे लगभग प्रधानाचार्य पद की दिनांक 31.03.2016 तक की गणना करते हुए 6000 पदों का सृजन हुआ। नियमों में संशोधन से पूर्व प्रधानाचार्य के पद पर 2 स्रोतों से नियुक्तियां दी थी। प्रथम व्याख्याता एवं द्वितीय हैडमास्टर, जिनका अनुपात 50:50 था। लेकिन संशोधन के बाद यह अनुपात 67:33 हो गया। अपीलार्थी का तर्क है कि यह संशोधन भूतलक्षी प्रभाव (Retrospective) से लागू नहीं किया जा सकता था। यह संशोधन केवल वर्ष 2015–16 की रिक्तियों पर ही प्रभावी होगा। अपीलार्थी के अनुसार इस प्रकार से गणना करते हुए हैडमास्टर पद से प्रधानाचार्य पद की रिक्तियां 2000 थी। अपीलार्थी प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत होने की पूर्ण योग्यता रखता था, किन्तु मात्र 817 हैडमास्टर जो कि वर्ष 2011–12 तक के वर्षों में नियुक्त या पदोन्नत थे, को ही पदोन्नति के योग्य माना गया, जबकि प्रधानाचार्य के पद रिक्त थे। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमों की गलत व्याख्या करते हुए दिनांक 03.07.2015 को पदोन्नति आदेश निकाला गया हैं। अपीलार्थी नियमों के अनुसार ग्रुप एफ के पद पर 3 वर्ष का पूर्ण अनुभव रखता है और प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति की योग्यता रखता है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का प्रधानाचार्य पद के पदोन्नति के लिए विचार नहीं करके नियम विरूद्ध कृत्य किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया जाये कि हैडमास्टर के रिक्त पदों के लिए रिव्यू डी.पी.सी. आयोजित कर अपीलार्थी की पदोन्नति वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध प्रधानाचार्य के पद पर किया जाये और उस से मिलने वाले समस्त परिलाभ प्रदान किये जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का पुरजोर विरोध करते हुए जवाब दिया है कि राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, 1970 के नियम 25(2)(ए) के प्रावधनान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषानुसार योग्य वरिष्ठता के अनुसार शिक्षा सेवा के अधिकारियों का चयन प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक

विद्यालय से प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं समकक्ष पद ग्रुप डी–II पेण्ड 15600–39100 पी बी–3, ग्रेड पे 6600/– में वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध पद हेतु चयन किया गया था। अपीलार्थी उपरोक्त पद हेतु वरिष्ठता नहीं रखता है, इसलिये उपरोक्त पदोन्नति में अपीलार्थी का चयन नहीं किया गया। अपीलार्थी के द्वारा किसी भी अपने से जूनियर शिक्षा अधिकारी का नाम अपील में अंकित नहीं किया है, और न ही पक्षकार बनाया है, केवल मात्र गोलमाल अपील माननीय अधिकरण के समक्ष पेश कर नियम विरूद्ध पदोन्नति वर्ष 2015–16 प्रधानाचार्य के पद पर मांग रहा है। प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय के पद पर तीन वर्ष का अनुभव नियमित नियुक्ति तिथि से होना अनिवार्य है, जो कि अपीलार्थी तीन वर्ष का अनुभव नहीं होने से अपीलार्थी को प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, के पद पर डी.पी.सी. वर्ष 2015–16 में कंसीडर नहीं किया गया। राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के प्रावधानुसार डी.पी.सी. के समय संबंधित वरिष्ठता सूची में दर्ज नियमों में निर्धारित योग्यताधारक सभी पात्र अभ्यार्थियों की पात्रता सूची निर्मित की जाकर उसमें से पात्र अभ्यार्थियों का नियमानुसार चयन किया जाता है। वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने बी.एस.बजवा बनाम पंजाब राज्य व अन्य में एस.सी.सी. 1998(2) पेज नं. 523 में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि एक बार वरिष्ठता का निर्धारण होने के पश्चात् उसे बदला नहीं जा सकता। इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डब्ल्यू एल सी 2007 एस.सी. पेज नं. 235 में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि 9 वर्ष बाद वरिष्ठता एवं पदोन्नति की मांग नहीं की जा सकती। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय के पद पर तीन वर्ष का अनुभव नियमित नियुक्ति तिथि से होना अनिवार्य है, अपीलार्थी का नियमित तिथि से तीन वर्ष का अनुभव नहीं होने के कारण उन्हें प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, के पद पर डी.पी.सी. वर्ष 2015–16 में कंसीडर नहीं किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी के उक्त तर्कों में कोई बल न होने के कारण अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य